विकासशील देशों में घरेलू हिंसा का सामान्य परिदृष्य : एक विवेचन

डॉ. हर्षना सोनकुसरे
अर्थशास्त्र विभाग
रेणुका कॉलेज, नागपूर

सारांश :

आदर्श समाज की निर्मिती के लिये समाज के महत्वपूर्ण घटक स्त्री और पुरूष के अधिकारों में समानता होना अनिवार्य है। लेकिन जिस समाज में हम रह रहे है वहा स्त्री को उसके स्वयंम के विकास के लिये जो मूलभूत अधिकार मिलना चाहीए उस से वह वंचित है। स्त्री को घटनात्मक अधिकार तो प्राप्त हुए है लेकिन समाज ने अभी भी उसे मान्यता नही दि है। आज भी हमारे समाज मे स्त्रीयों पर होनेवाली हिंसा का प्रमाण बढता ही दिखाई देता है। आए दिन वर्तमान पत्रों में, न्युज चॅनल मे हमे स्त्रीयों पर होनेवाली घरेलू हिंसा के उदाहरण मिलते है।

महिलाओं के विरुद्ध दिखाई देने वाली घरेलू हिंसा के कारणों को समझना और उन्हें समाप्त करके महिलाओं की प्रगति और उनमें आत्मविश्वास का निर्माण करना है। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी को लेकर व्यापक योजनाएँ लागू की गईं। इन सरकारी पहलों ने कल्याणकारी दृष्टिकोण से अधिकार–आधारित सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। अत: इस लेख में हम विकासशील देशों में घरेलू हिंसा का सामान्य परिदृष्य : एक विवेचन'' शीर्षक के अंतर्गत घरेलू हिंसा हेतु क्या उपाय और योजनाएँ होनी चाहिए, इसका अध्ययन करेंगे।

मुख्य शब्द : घरेलू हिंसा, अपराधी, पीड़ित, लिंग भेद

प्रस्तावना :

एक तरफ जहा हम २१वी शताब्दि की बात करते है तो दुसरी तरफ महिलाओं के संदर्भ मे हम अभी भी पिछडे हुए दिखाई देते है। महिलाओं के प्रति हिंसा एक बहु–आयामी मुद्दा है जिसके सामाजिक, निजी, सार्वजनिक और लैंगिक पहलू हैं। एक पहलू से निपटे तो दूसरा पहलू नजर आने लगता है। घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का एक जटिल और घिनौना स्वरूप है।

घरेलू हिंसा की घटनाएँ कितनी व्यापक हैं, यह तय कर पाना मुश्किल है। यह एक ऐसा अपराध है जो अक्सर छुपाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट कम दर्ज की जाती हैं और कई बार तो इसे नकार दिया जाता है। निजी रिश्तों में घरेलू हिंसा की घटना को स्वीकार करने को अक्सर रिश्तों के चरमराने से जोड़ कर देखा जाता है। समाज के स्तर पर घरेलू हिंसा की हकीकत को स्वीकार करने से यह माना जाता है कि विवाह और परिवार जैसा स्थापित सामाजिक ढाँचों में महिलाओं की खराब स्थिति को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इन सबके बावजदू भी घरेलू हिंसा के जितने केस रिपोर्ट होते हैं, वे आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारतवर्ष में हर पाँच मिनट पर घरेलू हिंसा की एक घटना रिपोर्ट की जाती है।

'घरेलू हिंसा' कानून लागू होने से पहले यह माना ही नहीं जाता था कि घरों में भी हिंसा होती है और इसका सबसे ज्यादा शिकार महिलाएँ होती हैं, वे चाहे विवाहित हों या अविवाहित। वर्ष २००६ में जब से यह कानून लागू हुआ, तब से लकेर आज तक घरेलू हिंसा से होने वाले नुकसान का आंकलन विभिन्न शाधों के जरिये किया जा रहा है। इन शोधों से प्राप्त आंकड़े चौंकाते हैं। एसेक्स विश्वविद्यालय की शाधे छात्रा सुनीता मेनन द्वारा किए गए शाधे से पता चलता है कि देश में होने वाली कुल बाल मौतों के दसवें हिस्से का कारण घरेलू हिंसा है इस शाधे का आधार नेशनल फैमिली एण्ड हैल्थ सर्वे २००७ का वह आंकड़ा है, जिसमें १६ से ४९ वर्ष की १,२९,८५ महिलाओं से बात की गई थी। शाधे में शामिल किए गए सैंपल को अगर सिर्फ ग्रामीण जनसंख्या तक सीमित कर दिया जाए, तो यह आंकड़ा दोगुना होकर हर पाँच में से एक पर जा सकता है।

सेक्सुअल हिंसा का शिकार 99.5% महिलाएं कभी शिकायत नहीं करतीं

राज्य	बीमित (Insured)	राज्य	पीड़ित (Victim)
बिहार	43%	राजस्थान	27%
यूपी	39%	हरियाणा	21%
झारखंड	34%	छत्तीसगढ़	21%
मध्यपदेश	31%	गुजरात	17%
महाराष्ट्र	28%	पंजाब	13%

Source : https://restthecase.com/knowledge-bank/famous-cases-of-domestic-violence-in-india

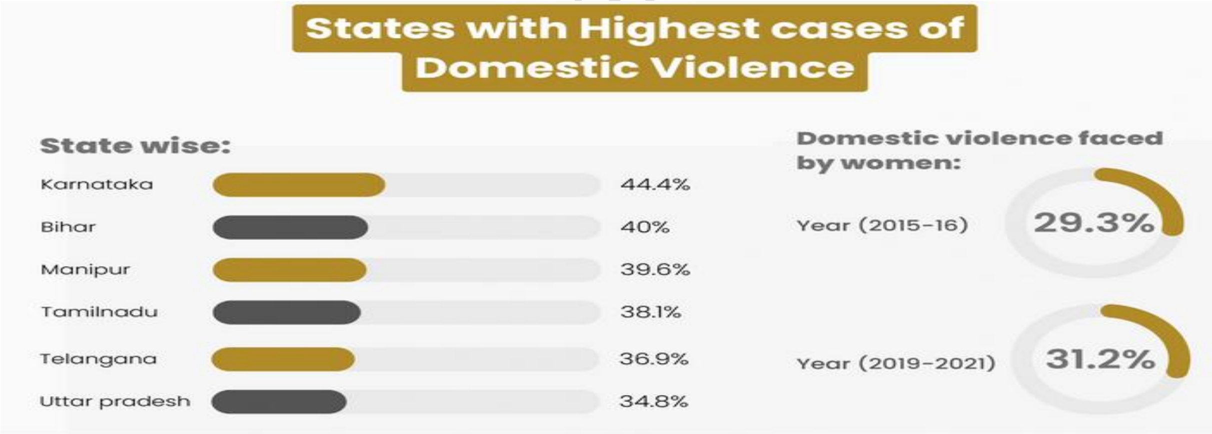

Source : https://restthecase.com/knowledge-bank/famous-cases-of-domestic-violence-in-india

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक (१९७५—८५) में एक पृथक पहचान मिली थी। वर्ष १९७९ में संयुक्त राष्ट्र में इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का रूप दिया गया था। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा समाप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा घोषणा पत्र विपना में सम्पन्न मानव अधिकार विश्व सम्मेलन (१९९३) द्वारा अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने संबंधी घोषणा को सम्मिलित करने का यह परिणाम हुआ कि २० दिसम्बर, १९९३ को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा' को समाप्त करने के लिए एक विस्तृत घोषणा—पत्र के जारी होने से 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा' एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आई और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों के लिये इसका पालन अनिवार्य बन गया। इस प्रकार घरेलू

हिंसा को समाप्त करने की एक वैश्विक मुहिम प्रारम्भ हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय मानव संधि को बनाने के लिए १७९ देशों ने हस्ताक्षर किये थे।

दिल्ली स्थित एक सामाजिक संस्था द्वारा कराये गये अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग पाँच करोड़ महिलाओं को अपने घर में ही हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमें से मात्र ०.१ प्रतिशत ही हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आगे आती हैं। गौर करे तो देश के अधिकांश राज्य महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील और असुरक्षित है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि महिलाएँ सिर्फ सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर ही असुरक्षित नही है। बल्कि वह अपने घर—परिवार और रिश्ते—नातेदार की हद में भी असुरक्षित है।

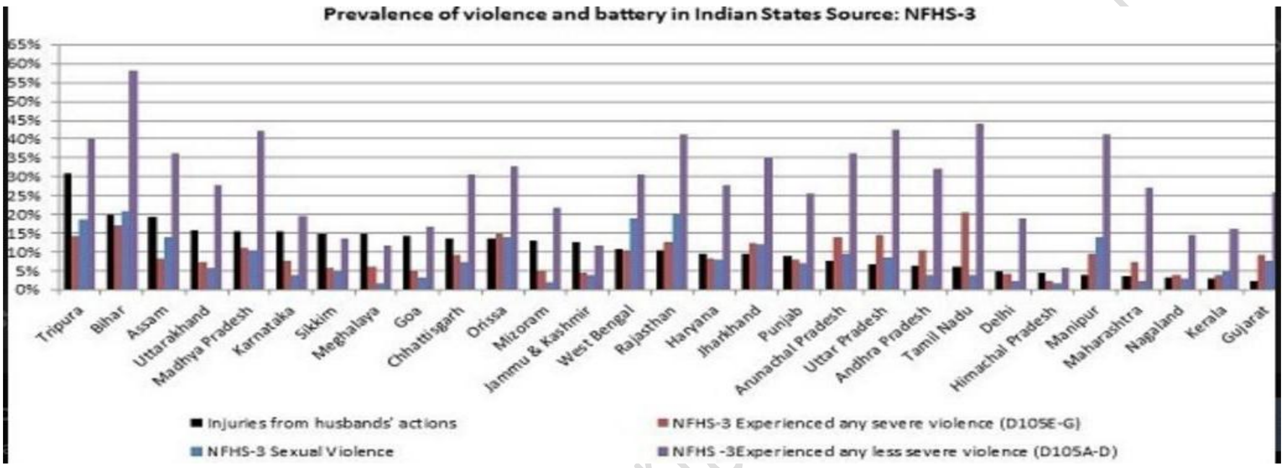

Sources : www.ideasforindia.in

यूनिसेफ की हाल की ही रिपोर्ट ‘हिडेन इन प्लने साइट’ से उजागर हुआ है कि भारत में १५ साल से १९ साल की उम्र वाली ३४ फीसदी विवाहित महिलाएँ ऐसी हैं, जिन्हांने अपने पति या साथी के हाथों शारीरिक या यौन हिंसा झेली है, इसी रिर्पोट में यह भी कहा गया है कि १५ साल से १९ साल तक की उम्र वाली ७७ फीसदी महिलाएँ कम से कम एक बार अपने पति या साथी के द्वारा यौन संबंध बनाने या अन्य किसी यौन क्रिया में जबरदस्ती का शिकार हुई हैं, इसी तरह १५ साल से १९ साल की उम्र वाली लगभग २१ फीसदी महिलाएँ १५ साल की उम्र से ही हिंसा झेली है। १५ साल से १९ साल के उम्र समूह की ४१ फीसदी लड़कियों ने १५ साल की उम्र से अपनी माँ या सौतेली माँ के हाथों शारीरिक हिंसा झेली है जबकि १८ फीसदी ने अपने पिता या सौतेले पिता के हाथों शारीरिक हिंसा झेली है। यह भी देखा गया है कि जिन लड़कियो की शादी नहीं हुई, उनके साथ शारीरिक हिंसा करने वालों में पारिवारिक सदस्य, मित्र, जान—पहचान के व्यक्ति और शिक्षक थे। तथा ५२ फीसदी महिलाओं ने स्वीकारा है कि उन्हें किसी न किसी तरह हिंसा का सामना करना पड़ा है, इसी तरह ३२ फीसदी महिलाओं ने घसीटें जाने, पिटाई, थप्पड़ मारे जाने तथा जलाने जैसे शारीरिक उत्पीड़नो का सामना करने की बात स्वीकारी है।

परिवार को समाज की महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है लेकिन पारिवारिक स्तर पर भी महिलाएँ सुरक्षित नहीं है। घरेलू हिंसा की जड़ें हमारे समाज व परिवार में गहराई तक जम गई हैं। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का कारण दहेज प्रताड़ना व अकारण मारपीट, धमकी देना, लैगिगं हिंसा, मौखिक व भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा प्रमुख है।

पुरूषों ने अपनी सुविधा के लिये नियम, आदर्श और धर्म का पाठ केवल स्त्रियों तक ही

सीमित रखा और स्वयं को पूरी तरह स्वतंत्र रखा। सामाजिक कुरीतियों में स्त्रियों को जी भरकर दबाया, उनके साथ सभी प्रकार के नैतिक—अनैतिक दुर्व्यवहार किये। क्या यही रह गया है नारी का महत्व। प्रश्न यह उठता है कि महिला इतना सहन क्यों करती है केवल इस कारण कि वह नारी है। वह भी तो पुरूषों की तरह प्रकृति की देन है। स्त्री और पुरूष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। इसलिए हिन्दू धर्मावम्बियों ने नारी को अर्धांगिनी, धर्मपत्नी, प्राणेश्वरी, प्राणप्यारी की संज्ञा दी है। हमारे धर्मशास्त्रों में देखेंगे तो पायेंगे कि नारी का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान था। मनु ने तो नारी की महिमा में यहाँ तक कह डाला कि — ''यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता विराजते हैं।

'घरेलू हिंसा' का अर्थ है कोई भी ऐसा कार्य, उपेक्षा या आचरण जो ऐसा हो कि उससे घरेलू संबंधों में किसी महिलां के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कुशलता को क्षति या चोट पहुँच सके या जिसमें चोट या क्षति पहुँचाने की क्षमता हो। इसमें शारीरिक प्रताड़ना, यौन प्रताड़ना, मौखिक और मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक प्रताड़ना भी सम्मिलित हैं।

- शारीरिक प्रताड़ना में ऐसा कोई भी कार्य या आचरण सम्मिलित है जो इस तरह का हो कि वह महिला को शारीरिक पीड़ा या कोई भी हानि या शरीर के अंगों या स्वास्थ्य को या उत्पीड़ित के विकास को क्षति पहुँचाए। इसमें आघात, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल जैसे कार्य भी सम्मिलित हैं।
- यौन प्रताड़ना में यौन संबंधी ऐसे कोई भी आचरण जो प्रताड़ित, 'अपमानित' करें या प्रतिष्ठा घटाएँ या उत्पीड़ित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को किसी तरह क्षति पहुँचाएँ—सम्मिलित हैं। इसमे महिला की सहमति के बिना, उसके साथ किया गया सम्भोग और जब महिला गर्भ निरोध साधन प्रयोग के लिए सही कारणों से कह रही हो तो इसके लिए सहयोग करने से मना करना भी सम्मिलित है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि यदि महिला की आयु सोलह वर्ष से कम है तो कोई भी संभोग जो उसकी इच्छा के विरूद्ध या सहमति के बगैर किया गया हो, वह यौन उत्पीड़न कहलाएगा।
- मौखिक और मानसिक प्रताड़ना मे ंसम्मिलित है— अपमान, उपहास नीचा दिखाना, अनादर करना, भद्दे नामों से पुकारना, इसी के साथ बच्चा या लड़का पैदा न करने के कारण अपमान करना, उपहास करना या किसी व्यक्ति को जानबूझकर लगातार धमकियों द्वारा शारीरिक पीड़ा पहुँचाना।

घरेलु हिंसा के परिणाम :

१. महिला में प्ररित हाने की भावना निर्माण होना जिसके कारण आत्मसम्मान में कमी आना।
२. मनसिक स्वास्थ समस्याएं, जैसे कि चिंता, घबराहट, अवसाद, भोजन व नींद संबंधित समस्याएं। हिंसा से बचने के लिए कोई महिला अपनी सम्पूर्ण पहचान बदलने का प्रयत्न करती है। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों से भी स्वयं को वंचित रखने लगती है, घर—परिवार वालों व मित्रों से संबंध तोडने लगती है तथा एकाकीपन व अपराध बोध में शरण लेने लगती है। उसे नशीली दवाईयों और शराब की आदत पड सकती है।
३. हिंसा के कारण महिला गंभीर चोटों, हड्डीयों के टूटने जलने, कटने के कारण शरीर पर निले दागों, सिर दर्द, पेट दर्द व मांसपेशियों में दर्द आदि से पीडित हो सकती है जो प्रताडना के बाद लंबे समय तक रह सकते है।
४. घरेलु हिंसा में यौन स्वास्थ की समस्याएं भी अंर्तभूत है। गर्भावस्था के दौरान पिटाई से

गर्भपात भी हो सकता है। यौन उत्पीडन के कारण वे अवांछित गर्भ, यौन संचारित रोग या एच.आई.व्ही/एड्स का भी शिकार हो सकती हैं। यौन उत्पीडन के कारण प्राय: यौन संबंधं में अनिच्छा, दर्द व भय उत्पन्न हो सकता है।

५. लडके अपने पिता से गुस्सैल व आक्रामक व्यवहार सीखते है। इस के कारण बच्चों में भी हिंसात्मक भावना की वृध्दि होते हुए दिखाई देती है।
६. लडकियां नकारात्मक व्यवहार सीखती है और अकसर चुप—चुप रहने वाली या परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती है। उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है।
७. महिला के साथ हिंसा होती है तो वे चोटग्रस्त हो सकती हैं और मौत भी हो सकती है।

घरेलू हिंसा का समाज पर प्रभाव :

१. अगली पीढी में हिंसा चक्र की निरंतरता बनी रहती है।
२. यह धारना बनी रहती है की पुरूष महिलाओं से बेहतर होते है।
३. हिंसा के कारण महिला की जीवन गुणवत्ता पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है। हिंसा का शिकार हुई महिलाएं समाज की जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती है।

अध्ययन पर आधारित सुझाव :

- महिलाएँ चाहे किसी भी परिवेश से हो उन्हें पारिवारिक हिंसा एवं उत्पीड़न, सामाजिक उपेक्षा एवं उपहास, आर्थिक शाेषण एवं भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है। उनके मन में कुंठा, खीज, असन्तोष एवं ग्लानि के भाव होते हुए भी अपने परिवार के लिए समाज के समक्ष शांत, सुन्दर व स्वाभाविक दिखने का अभिनय करना ही पड़ता है। अत: महिलाओं की स्थिति सुधारना व उन्हें मुख्य धारा से अवश्य ही जोड़ने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं —
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण कानून का व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाना चाहिये, क्योकि जब तक यह कानून प्रत्येक महिला तक नहीं पहुँचेगा तब तक वे इसका प्रयोग नहीं कर सकेगी।
- महिलाओ को अधिक शिक्षित किया जायें, क्योकि महिलाएँ जितना अधिक शिक्षित होगीं उतना ही कानून के प्रावधान व उसकी प्रक्रिया को समझ सकती है और सही समय पर इसका उपयोग कर सकती है।
- कानून को थोड़ा और सख्त बनाया जाये, जिसमें दोषी के लिए दण्ड हेतु अधिक सुदृढ़ प्रावधानों की व्यवस्था की जानी चाहिये। जिससे घरेलू हिंसा जैसे अपराध का कोई भी प्रयास न कर सके।
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण कानून के क्रियान्वयन हेतु एक अलग प्रशासनिक तन्त्र तथा अलग न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए, जिससे इन मामलों की सुनवाई शीघ्र हो सके और पीड़िता को समय पर न्याय मिल सके।
- इस कानून के दायरे में आने वाली महिलाओं के आयु वर्ग को भी निर्धारित किया जाये, जिससे कई बार माता—पिता द्वारा अपने बच्चो को दी जा रही सलाह पर लड़की पक्ष द्वारा इस कानून का दुरपयोग न किया जा सके।
- महिला शिक्षा के दौरान इस कानून सम्बन्धी प्रावधानों को पाठ्यक्रम मे शामिल किया जाना चाहिये, उसी तरह जिस तरह माध्यमिक शिक्षा तक हर छात्र के लिए नागरिक अधिकारों, नीति—निर्देशक तत्वों और भारतीय इतिहास को पढ़ना अनिवार्य होता है। इस तरह के प्रयास

से भविष्य में होने वाली घरेलू हिंसा की सम्भावनाओं से बचा जा सकता है।

- पुलिस व न्यायपालिका को महिलाओं के प्रति संवेदनशील हानो चाहिए। न केवल महिलाओं को वरन् पुरूषों को भी इस कानून की जानकारी दी जाए तथा इस कानून के पालन के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए।
- स्त्री पुरूष समानता पर आधारित स्वच्छ और स्वस्थ पारिवारिक तथा सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन प्रणाली विकसित करनी होगी। जिससे महिलाएँ भेदभाव रहित व उत्साहवर्धक वातावरण पाकर अपनी निहित क्षमताओं का उपयोग करके सशक्त बन सकें।
- महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए पुलिस को सहयोगात्मक व सकारात्मक रवैया अपनाना होगा, वह रक्षक बने, भक्षक नहीं।
- पुरूषों को भी अपना सहयोग प्रदान करना होगा वे स्त्रियों को लेकर दोहरी मानसिकता से बचे। परिर्वतित होती परिस्थितियाँ उनके आत्म अवलाकेन की भी है।
- पुरूष प्रधान समाज व सरकार की यह सोच बदलने हेतु जनआंदोलन शुरू करना होगा कि अब विशेषाधिकार पुरूषों के लिए नहीं है। महिलाओं की अपनी स्थिति को सुधारने के लिए विश्वसनीयता की कसौटी पर खरे उतर चुके पुरूषों का मार्गदर्शन व सहयोग नि:संकोच लनो चाहिए।
- घरेलू हिंसा करने वालों का सामाजिक और सांस्कृतिक बहिष्कार किया जाए।
- परम्परागत व रूढ़िवादी वैचारिकी में परिवर्तन के लिए विभिन्न अभिकरणों जैसे शिक्षा, संचार माध्यमों का सहारा लिया जाना चाहिए तथा इस कानून (घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम) की सार्थकता लोगों को समझनी चाहिए।

संदर्भ सूची :

- घरेलू हिंसा के प्रकार एवं परिणाम : शिक्षित एवं अशिक्षित महिलाओं पर (ग्वालियर के विशेष संदर्भ में) :— सीमा मिश्रा पाण्डेय
- देसाई, श्री. संभाजी, महाजन, डॉ. रघुनाथ, 'कौटुंबिक हिंसाचार आणि महिला', प्रशांत पब्लिकेशन
- ताडपात्रीकर, मेधा, 'कौटुंबिक हिंसाचार', डायमंड पब्लिकेशन
- http://mr.vikaspedia.in/social-welfare/92
- https://www.tarunbharat.net/Encyc/2019/5/3/article-about-Family-Violence.html
- https://maharashtratimes.indiatimes.com/lifestyle-news/relationships/what-if-you-
- http://kutumbkayda.over-blog.com/2015/08/55bf68ba-77d1.html
- https://hi.vikaspedia.in/social-welfare/93893
- www.ideasforindia.in
- https://restthecase.com/knowledge-bank/famous-cases-of-domestic-violence-in-india